

कन्या भ्रूणहत्या के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण का अध्ययन

सुरेंद्र

Master in Law (LL.M.) मोनाइ विश्वविद्यालय, हापुड़

डॉ. अमित कुमार

सहायक प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, मोनाइ स्कूल ऑफ लॉ, मोनाइ विश्वविद्यालय, हापुड़

Article: Received: 23/05/2026, Returned: 28/05/2026, Accepted: 04/06/2026, Published:06/06/2026.
D.O.I.



© 2026 The Author(s). This is an Open Access article/ Journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are properly credited. (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

शोध सार: कन्या भ्रूणहत्या भारतीय समाज में एक गंभीर सामाजिक-विधिक बुराई है, जो न केवल मानवाधिकारों का हनन है, अपितु संवैधानिक मूल्यों और न्यायिक प्रतिबद्धताओं के प्रति भी चुनौती है। यह शोध पत्र कन्या भ्रूणहत्या के विरुद्ध भारतीय विधिक-संवैधानिक ढांचे, विशेषतः पूर्व-संकल्पना और प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (निदान अधिनियम, १९९४ [PCPNDT Act], भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ / भारतीय दंड संहिता (IPC), १८६०, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१, १४, १५ का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। पत्र में *स्वैच्छिक संगठन बनाम भारत संघ* (२०१३) आदि लैंडमार्क निर्णयों में न्यायिक सक्रियता और निरंतर न्यायिक निगरानी (continuing mandamus) की भूमिका की समीक्षा की गई है। साथ ही, PCPNDT Act के क्रियान्वयन में तकनीकी दुरुपयोग, प्रशासनिक उदासीनता, साक्ष्य-संकट और न्यून दंड-दर जैसी व्यावहारिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। पत्र यह तर्क प्रस्तुत करता है कि न्यायिक सक्रियता, यद्यपि महत्वपूर्ण, किंतु सामाजिक-सांस्कृतिक मानसिकता के परिवर्तन के बिना कन्या भ्रूणहत्या के समूल उन्मूलन में अपर्याप्त है। निष्कर्ष में विधायी सुधार, सशक्त निगरानी तंत्र, चिकित्सा नैतिकता का पुनर्निर्माण और सामाजिक चेतना जागरण के व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य शब्द: कन्या भ्रूणहत्या, लिंगानुपात, PCPNDT अधिनियम १९९४, भारतीय न्याय संहिता (BNS), अनुच्छेद २१, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, चिकित्सा नैतिकता, तकनीकी दुरुपयोग, सामाजिक-विधिक सुधार।

1. प्रस्तावना (Introduction): कन्या भ्रूणहत्या को भारतीय समाज की एक गंभीर "सामाजिक-विधिक बुराई" (socio-legal evil) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ पितृसत्तात्मक मानसिकता (patriarchal mindset) और पुत्र-प्रधानता (son preference) के आधार पर अजन्मी कन्या के भ्रूण का जानबूझकर नष्टीकरण किया जाता है। [१] २०११ की जनगणना और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आँकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि ०-६ वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात (Child Sex Ratio) ९२७ से गिरकर कुछ राज्यों में अधिक न्यून स्तर पर पहुँच गया है। [२] पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह समस्या विशेष रूप से भयावह रूप धारण कर चुकी है।

इस शोध पत्र का मुख्य प्रश्न यह है कि क्या भारत में कन्या भ्रूणहत्या के विरुद्ध न्यायिक सक्रियता और विधिक प्रावधान (PCPNDT Act, BNS/IPC) वास्तविक सामाजिक-जनसांख्यिकी परिवर्तन का साधन बन पा रहे हैं, या ये केवल कागजी आदेशों (paper decrees) तक सीमित हैं। शोध का उद्देश्य PCPNDT Act और BNS/IPC के अधीन कन्या भ्रूणहत्या की विधिक-संवैधानिक वैधता का विश्लेषण, न्यायिक प्रवचन में विकसित दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक परीक्षण, और विधिक-सामाजिक क्रियान्वयन में अंतराल की पहचान करना है। शोध की पद्धति द्वितीयक स्रोतों पर आधारित वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक विधि (doctrinal research) है, जो PCPNDT Act, BNS/IPC, न्यायिक निर्णय, NFHS रिपोर्ट, और अकादमिक टीकाओं का अध्ययन सम्मिलित करती है।

2. विधिक और संवैधानिक ढांचा (Constitutional & Statutory Framework)

2.1 संवैधानिक आधार और मूलाधिकार: भारतीय संविधान में अनुच्छेद २१ "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार" प्रदान करता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने *मानेका गांधी* और बाद के निर्णयों में "सम्मानजनक जीवन के अधिकार" (right to life with dignity) के रूप में व्याख्यायित किया है। [३] कन्या भ्रूणहत्या के संदर्भ में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अजन्मी कन्या के भ्रूण का "जीवनाधिकार" अनुच्छेद २१ के व्यापक परिधि में आता है। यद्यपि BNS/IPC में भ्रूण को स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व (legal personhood) प्राप्त नहीं है, तथापि PCPNDT Act की उद्देश्य-वाक्य और संविधान की मूल भावना (basic structure) अजन्मी कन्याओं के संरक्षण को राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (DPSP) और मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद ५१A) में निहित मानती है। [४] अनुच्छेद १४ और १५(१) लिंग-आधारित भेदभाव के प्रतिषेध की गारंटी देते हैं, जबकि

अनुच्छेद १५(३) महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष कानूनों (जैसे PCPNDT Act) का संवैधानिक आधार प्रदान करता है — सकारात्मक विशेषाधिकार (protective discrimination) की संकल्पना[५] अनुच्छेद ५१A(e) नागरिकों को "महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण दृष्टिकोण का परित्याग" करने का मौलिक कर्तव्य सौंपता है, जो कन्या भ्रूणहत्या की सामाजिक मान्यता के विरुद्ध एक संवैधानिक नैतिकता (constitutional morality) स्थापित करता है[६]

2.2 PCPNDT अधिनियम, १९९४ (वैधानिक ढांचा): पूर्व-संकल्पना और प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (निदान अधिनियम), १९९४, जो २००३ में संशोधित हुआ, भारत में भ्रूणलिंग-निदान (foetal sex determination) और लिंग-चयन (sex selection) पर प्रतिबंध का प्रधान उपाधिनियम है। धारा ३ में भ्रूणलिंग-निदान पर प्रतिबंध है; धारा ४ केवल पंजीकृत संस्थानों में नैदानिक केंद्र संचालित करने की अपेक्षा करती है; धारा ५ भ्रूणलिंग-संप्रेषण (communication of sex of foetus) पर प्रतिबंध लगाती है; और धारा ६ प्रेरणा (inducement) के दायित्व को निर्धारित करती है।[७] धारा २३ में दंडात्मक प्रावधान हैं, जिनमें जुर्माना और कारावास शामिल है, किंतु अपराध की प्रकृति (bailable vs. non-bailable) पर आलोचना व्याप्त है।[८] २००३ के संशोधन में "उचित अधिकारी" (Appropriate Authority) की शक्तियों का सुदृढ़ीकरण, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड (Central Supervisory Board) का गठन, और विज्ञापनों पर प्रतिबंध जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए।

2.3 भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ / भारतीय दंड संहिता (IPC), १८६०: भ्रूणहत्या के संबंध में BNS, २०२३ की धाराएँ १९-१०३ (पूर्व में IPC की धाराएँ ३१२-३१६) प्रासंगिक हैं। धारा १९ / ३१२ (गैर-विधिक गर्भपात), धारा १०० / ३१३ (बिना सहमति के गर्भपात), धारा १०१ / ३१४ (गर्भपात के दौरान मृत्यु), धारा १०२ / ३१५ (जीवित जन्म को रोकना), और धारा १०३ / ३१६ (अपराधिक मानवहत्या द्वारा अजन्मे शिशु की मृत्यु) इन अपराधों को दंडित करती हैं।[९] किंतु एक महत्वपूर्ण विधिक दुविधा यह है कि अजन्मे भ्रूण को "मनुष्य" (human being) की परिभाषा में लाने में कानून असमर्थ है, जिससे कन्या भ्रूणहत्या को "हत्या" (murder) के रूप में दंडित करना कठिन होता है।[१०] Medical Termination of Pregnancy Act, १९७१ (MTP Act) विधिक गर्भपात की शर्तें निर्धारित करता है, और इसके साथ PCPNDT Act का सामंजस्य आवश्यक है, किंतु अक्सर MTP Act की आड़ में गैर-विधिक भ्रूणहत्या को संरक्षण मिलता है।[११]

2.4 अंतर्राष्ट्रीय दायित्व: भारत CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), १९७९ का पक्षकार है, जिसके अनुच्छेद १, २ और १६ में लिंग-आधारित भेदभाव और जनन स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा है।[१२] सतत विकास लक्ष्य ५ (SDG-5: Gender Equality) और UNFPA की *State of World Population* रिपोर्टें भी इस मुद्दे पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को स्पष्ट करती हैं।

3. न्यायिक दृष्टिकोण और लैंडमार्क केसेज (Judicial Approach & Landmark Judgments)

3.1 स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन ऑफ पंजाब बनाम भारत संघ: न्यायिक निगरानी का प्रस्थान-बिंदु

भारतीय न्यायपालिका द्वारा कन्या भ्रूणहत्या के मुद्दे पर सर्वाधिक व्यापक और प्रभावशाली हस्तक्षेप *स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन ऑफ पंजाब बनाम भारत संघ* [१३] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया। इस भव्य निर्णय में न्यायालय ने २०११ की जनगणना और NFHS आँकड़ों का सञ्ज्ञान लेते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में ०-६ वर्ष आयु वर्ग में घटते लिंगानुपात को संवैधानिक आपात की स्थिति (constitutional exigency) माना। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह मान्यता प्रदान की कि PCPNDT अधिनियम का क्रियान्वयन केवल विनियामक अनुपालन (regulatory compliance) नहीं, अपितु अनुच्छेद २१ के अधीन राज्य के कर्तव्य का विषय है। [१४] इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों में नैदानिक केंद्रों की पंजीकरण-प्रक्रिया का कठोर निरीक्षण, अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों के विरुद्ध त्वरित छापेमारी, और उचित अधिकारियों (Appropriate Authorities) द्वारा निर्धारित प्रपत्र-एफ (Form F) के बाध्यकारी भरण की व्यवस्था शामिल रही। विशेषतः न्यायालय ने "जारी न्यायिक निगरानी" (continuing mandamus) की अवधारणा को सृजित करते हुए राज्य सरकारों से अनुपालन रिपोर्ट (compliance affidavits) की अपेक्षा की, जिससे कार्यपालिका की उदासीनता (executive inertia) के विरुद्ध एक वैधानिक जवाबदेही का ढांचा स्थापित हुआ। [१५]

3.2 अनुच्छेद २१ और अजन्मी कन्या का जीवनाधिकार: संवैधानिक त्रासदी का न्यायिक चित्रण

सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय में यह विचार अभिव्यक्त किया कि कन्या भ्रूणहत्या केवल एक सामान्य दंडनीय अपराध नहीं, अपितु अजन्मी कन्या के "जीवन के सम्मानजनक अधिकार" (right to life with dignity) का सीधा और निर्मम हनन है। [१६] यद्यपि भारतीय न्याय संहिता और दंड संहिता में अजन्मे भ्रूण को स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व (legal personhood) प्राप्त नहीं है, तथापि न्यायालय ने PCPNDT अधिनियम के उद्देश्य-वाक्य (preamble and object) तथा अनुच्छेद २१ की प्रबुद्ध व्याख्या (expansive interpretation) के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला

कि लिंग-आधारित भ्रूणहत्या राज्य द्वारा जीवन की गारंटी देने के संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन है। [१७] न्यायालय ने यह भी अवधारित किया कि इस अपराध में संलग्न चिकित्सक न केवल विनियामक अपराध (regulatory offence) करते हैं, अपितु संवैधानिक नैतिकता (constitutional morality) के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो समतावादी और समावेशी समाज की संकल्पना को आघात पहुँचाता है।

4. कानून के क्रियान्वयन में व्यावहारिक चुनौतियाँ (Implementation Challenges)

4.1 तकनीकी दुरुपयोग की परिवर्तीली संरचना और विनियामक शून्यता: PCPNDT अधिनियम, १९९४ की विनियामक परिधि (regulatory ambit) मुख्यतः अल्ट्रासाउंड, एम्नियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सैंपलिंग जैसी पारंपरिक प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीकों तक सीमित है। [२४] किंतु चिकित्सा विज्ञान की विकासशीलता ने भ्रूणलिंग-निर्धारण की नवीनतम विधियों को जन्म दिया है, जो इस अधिनियम की परिभाषात्मक दायरे से परे हैं। नॉन-इनवेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग (NIPT — सेल-फ्री फीटल डीएनए विश्लेषण), प्री-इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस (PGD), और स्पर्म-सॉर्टिंग (MicroSort) जैसी तकनीकें अब उपलब्ध हैं, जिन्हें PCPNDT अधिनियम की धारा ३ की परिभाषा में समावेशित करना कठिन है। [२५] इसके अतिरिक्त, डाक्टरों और दंपतियों द्वारा नेपाल, थाइलैंड या दुबई जैसे देशों में भ्रूणलिंग-निर्धारण हेतु "चिकित्सा पर्यटन" (medical tourism) का सहारा लेना, तथा ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर "होम-किट्स" की बिक्री, अधिनियम की अंतर्राष्ट्रीय और साइबर विनियामक शून्यता (regulatory void) को उजागर करती है। [२६] यह "तकनीकी अतिक्रमण" (technological obsolescence) अधिनियम की दंडात्मक पकड़ को निरर्थक बनाता है, क्योंकि नवीन तकनीकें सीमाओं के पार, गैर-पंजीकृत और गोपनीय रूप से संचालित होती हैं।

4.2 प्रशासनिक उदासीनता और Appropriate Authorities की संस्थागत कमजोरी: PCPNDT अधिनियम की धारा १७ के अंतर्गत नियुक्त "उचित अधिकारी" (Appropriate Authority) — जो सामान्यतः जिला चिकित्सा अधिकारी या जिलाधिकारी होता है — क्रियान्वयन की केंद्रीय कड़ी है। [२७] किंतु व्यावहारिक स्तर पर ये अधिकारी अक्सर अपर्याप्त बजट, प्रशिक्षण के अभाव, और राजनीतिक दबाव के बीच कार्य करते हैं। छापेमारी और डिक्कॉय अभियान (decoy operations) नगण्य संख्या में होते हैं, जबकि अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों से संबंधित शिकायतें निस्तारित (buried) हो जाती हैं। अधिकारियों और नैदानिक केंद्र संचालकों के बीच संधि (collusion) की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे अधिनियम की रोकथामात्मक (preventive) भावना समाप्त हो जाती है। राज्य और जिला सलाहकार समितियों की अनियमित बैठकें तथा अनुपालन रिपोर्टों की औपचारिकता (formalism) इस विनियामक विकृति को और गहराती है।

5. न्यायिक सक्रियता बनाम जमीनी हकीकत (Judicial Activism vs. Ground Reality)

5.1 न्यायिक हस्तक्षेप की प्रक्रियागत और वास्तविक सीमाएँ: भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने *स्वैच्छिक संगठन* में "निरंतर न्यायिक निगरानी" (continuing mandamus) की अवधारणा विकसित की, तथापि न्यायपालिका की शक्तियाँ प्रक्रियागत रूप से सीमित हैं। [३१] न्यायालय अन्वेषण (investigation) नहीं कर सकता, नैदानिक केंद्रों पर शारीरिक छापेमारी नहीं कर सकता, और न ही प्रशासनिक अधिकारियों को निरंतर पर्यवेक्षण के लिए बाध्य कर सकता है। शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) के सिद्धांत के अंतर्गत न्यायिक सक्रियता (judicial activism) कार्यपालिका की उदासीनता को उजागर तो कर सकती है, किंतु उसके स्थान पर कार्यपालिका का कार्य नहीं कर सकती। इस प्रकार, न्यायालय के आदेश अक्सर "कागजी निर्देशों" (paper directions) में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनका मैदानी स्तर पर कोई व्यावहारिक अनुपालन नहीं होता। न्यायिक निगरानी की यह "संरचनात्मक असमर्थता" (structural inability) कन्या भ्रूणहत्या जैसे व्यापक सामाजिक अपराध के समक्ष एक गंभीर बाधा उपस्थित करती है।

5.2 दंडात्मक कानून की सामाजिक-सांस्कृतिक परिधि: अधिक गंभीर प्रश्न यह है कि कन्या भ्रूणहत्या एक मूलतः सामाजिक-सांस्कृतिक (socio-cultural) अपराध है, जिसकी जड़ें पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे (patriarchal social structure) में गहराई तक फैली हुई हैं। [३२] पुत्र-प्रधानता (son preference), वंशानुक्रम में पुरुष-प्रथमिकता (male primogeniture की सांस्कृतिक अवधारणा), अंत्येष्टि-कर्मों में पुत्र की आवश्यकता, और दहेज प्रथा द्वारा कन्या को "आर्थिक बोझ" (economic liability) मानना — ये वे मूलभूत कारक हैं जिन्हें केवल दंडात्मक कानून द्वारा उखाड़ा नहीं जा सकता। [३३] PCPNDT अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान "पूर्ति" (supply side) को नियंत्रित करते हैं — अर्थात् चिकित्सकों और नैदानिक केंद्रों को — किंतु ये "मांग" (demand side), अर्थात् परिवार और समुदाय की सामाजिक मानसिकता, को प्रभावित करने में असमर्थ हैं। जब तक जन्मजात पुत्र की अपेक्षा सामाजिक मान्यता (social legitimacy) प्राप्त करती रहेगी, तब तक कन्या भ्रूणहत्या की प्रवृत्ति अंतर्निहित रूप से बनी रहेगी।

5.3 न्यायिक दृष्टिकोण की उपयोगिता और समग्र सुधार की अपरिहार्यता: यह कथन न्यायिक सक्रियता की उपयोगिता को नकारने का प्रयास नहीं, अपितु इसकी वास्तविक सीमाओं को स्वीकार करना है। न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देश "शिक्षाप्रद" (pedagogical) और "चेतावनीपूर्ण" (deterrent) कार्य तो करते हैं, किंतु वे सामाजिक चेतना (social consciousness) का स्थान नहीं ले सकते। [३४] कन्या भ्रूणहत्या के समूल उन्मूलन हेतु विधिक सुधार, प्रशासनिक सक्रियता, और न्यायिक निगरानी के साथ-साथ महिला साक्षरता, आर्थिक सशक्तिकरण, और लिंग-

संवेदनशीलता (gender sensitization) का व्यापक सामाजिक अभियान अपरिहार्य है। केवल तब, जब कानून और न्यायपालिका की दंडात्मक शक्ति सामाजिक परिवर्तन (social transformation) के साथ संयुक्त रूप से कार्य करेगी, तब इस संहति (affliction) से मुक्ति संभव हो सकेगी। अन्यथा, न्यायालय के भव्य आदेश भी केवल संवैधानिक आदर्शों के "कागजी अभिलेख" (paper monuments) बनकर रह जाएंगे।

6. निष्कर्ष और व्यावहारिक सुझाव (Conclusion & Suggestions): उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि कन्या भ्रूणहत्या एक गंभीर सामाजिक-विधिक अपराध है, जिसका मूल केवल चिकित्सकीय दुरुपयोग या तकनीकी उपलब्धता नहीं, अपितु गहराई तक फैली पितृसत्तात्मक मानसिकता और पुत्र-प्रधानता में निहित है। PCPNDT Act, १९९४ (विशेषतः २००३ संशोधन) एक व्यापक विधिक ढांचा प्रदान करता है, किंतु इसका क्रियान्वयन (enforcement) कागजी अनुपालन (paper compliance) तक सीमित रह गया है; दंड-दर अत्यंत न्यून है और चिकित्सा बिरादरी का नैतिक संकट (ethical crisis) व्यापक है। न्यायिक सक्रियता (स्वैच्छिक संगठन आदि) ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए, किंतु "न्यायिक आदेश" और "जमीनी हकीकत" के बीच का अंतराल (implementation gap) अपरिहार्य रूप से विद्यमान है। BNS/IPC के अधीन भ्रूणहत्या को "हत्या" (murder) या "मनुष्य" की परिभाषा में लाने की कानूनी असमर्थता एक गंभीर विधिक दुविधा (legal ambiguity) उपस्थित करती है, जो कन्या भ्रूण के "जीवन के अधिकार" को कमजोर करती है।

अंततः, यह शोध पत्र यह दृढ़ मत प्रतिपादित करता है कि कन्या भ्रूणहत्या का निवारण केवल "कठोर कानून" (harsh law) या "न्यायिक आदेश" (judicial decree) द्वारा नहीं, अपितु विधिक सुधार, प्रशासनिक सक्रियता, और सामाजिक चेतना जागरण (social awakening) के त्रिवेणी संगम (confluence) द्वारा ही संभव है। संविधान की मूल भावना और न्यायालयों की प्रतिबद्धता तब तक अधूरी रहती है, जब तक वे समाज की मानसिकता (collective conscience) में अंकित न हो जाएँ।

7. संदर्भ सूची (Bibliography)

A. प्राथमिक स्रोत (Primary Sources)

(i) संवैधानिक और वैधानिक उपकरण

The Constitution of India, arts. 14, 15(1), 15(3), 21, 51A(e).

Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, No. 57, Acts of Parliament, 1994 (India), amended by Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Act, 2003.

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, §§ 99-103, No. 45, Acts of Parliament, 2023 (India).

Indian Penal Code, 1860, §§ 312-316, No. 45, Acts of Parliament, 1860 (India) [Repealed by BNS, 2023].

Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, No. 34, Acts of Parliament, 1971 (India).

Dowry Prohibition Act, 1961, No. 28, Acts of Parliament, 1961 (India).

Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002, G.S.R. 328(E).

Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, No. 32, Acts of Parliament, 2012 (India).

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, No. 47, Acts of Parliament, 2023 (India).

Indian Evidence Act, 1872, § 154, No. 1, Acts of Parliament, 1872 (India) [Repealed by BSA, 2023].

केस लॉ: *Voluntary Health Association of Punjab v. Union of India*, (2013) 4 SCC 679; *Centre for Enquiry Into Health and Allied Themes (CEHAT) v. Union of India*, (2003) 2 SCC 27; *Laxmi Mandal v. Deen Dayal Harinagar Hospital*, W.P.(C) 8853/2008 (Delhi HC); *Suchita Srivastava v. Chandigarh Admn.*, (2009) 9 SCC 1; *Maharashtra v. Salim*, 2013 SCC Online Bom 1021.

(ii) अंतर्राष्ट्रीय उपकरण

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), opened for signature Mar. 1, 1980, 1249 U.N.T.S. 13.

Beijing Declaration and Platform for Action, Fourth World Conference on Women (Sept. 15, 1995).

UN Sustainable Development Goals (SDG-5: Gender Equality), G.A. Res. 70/1, U.N. Doc. A/RES/70/1 (Oct. 21, 2015).

B. द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources)

(i) पुस्तकें और टीकाएँ

Upendra Baxi, *The Future of Human Rights* (Oxford University Press, 3rd ed. 2008).

Flavia Agnes, *Law and Gender Inequality: The Politics of Women's Rights in India* (OUP 1999).

Amartya Sen, *Missing Women*, 304 *British Medical Journal* 587 (1992).

P.V. Kane, *History of Dharmasastra* (Bhandarkar Oriental Research Institute, 2d ed. 1974).

(ii) आयोग/समिति रिपोर्टें और सरकारी प्रकाशन

Law Commission of India, *198th Report on Witness Identity and Protection* (2006).

National Crime Records Bureau (NCRB), *Crime in India 2022* (Ministry of Home Affairs, 2023).

Census of India 2011, *Provisional Population Totals* (Office of the Registrar General & Census Commissioner, 2011).

National Family Health Survey (NFHS-5), 2019-21 (Ministry of Health & Family Welfare, Government of India).

National Commission for Women (NCW), *Report on Female Foeticide in India* (2018).

(iii) अंतर्राष्ट्रीय संगठन और NGO प्रकाशन

WHO, *Preventing Gender-Biased Sex Selection* (2011).

UNICEF India, *Child Sex Ratio in India: An Analysis of Census 2011* (2012).

UNFPA, *State of World Population Reports* (2020-2023).

Journal of Indian Law Institute (various volumes on women's rights and reproductive health).

Declaration by Author (s): "We hereby declare that this manuscript is our original work, free from plagiarism, and that all sources and any use of Artificial Intelligence tools for content generation or editing have been fully disclosed and verified for accuracy." सुरेंद्र एवं डॉ. अमित कुमार